कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची

आवश्यक-सूचना

राज्य के कृषकों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानित उर्वरकों का कम्पनीवार प्रति बोरी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) निम्न प्रकार है :-

(MRP in Rs.)

Company	UREA	DAP	MOP	SSP				Complex		
	Ind./Imp.	Ind./ Imp.		SSP-P	SSP-G	SSP-P(Zn)	SSP-G(Zn)	20:20:0:13	12:32:16	10:26:26
IFFCO	266.50	1200.00	-	-	-	-	-	995.00	-	-
NFL	266.50	1200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Yara	266.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grasim	266.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KFL	266.50	1200.00	-	-	-	-	-	1050.00	-	-
Indorama	-	1200.00	850.00	422.00	-	-	-	-	1335.00	1375.00
IPL	-	1200.00	1000.00	-	-	-	-	-	-	-
PPL	-	1200.00	1000.00	-	-	-	-	1090.00	-	-
SAI	-	-	-	400.00	440.00	-	-	-	-	-
KCFL	-	-	-	430.00	460.00	455.00	485.00	-	-	-

नोट :-1. Urea की प्रति बोरी 45 Kg Packsize की होती है एवं शेष उर्वरकों की बोरी 50 Kg Packsize होती है।

2. यदि किसी भी खुदरा विक्रेता द्वारा उक्त निर्धारित MRP से अधिक मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनिकी प्रबंधक, जिले के जिला कृषि कार्यालय तथा संयुक्त कृषि निदेशक कार्यालय में इसकी शिकायत की जा सकती है।

3. यदि किसी बिक्रेता द्वारा जबरन अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-अनुदानित उर्वरकों की बिक्री की जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित बिक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उनके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

17/0
01.06.2021

31/05/21
कृषि निदेशक
झारखण्ड, राँची।